उत्तर प्रदेश शासन
आई0टी0 एवं इलेक्ट्रानिक्स अनुभाग-1
संख्या-2/2020/813/78-1-2020-25/2012
लखनऊ: दिनांक: 15 जुलाई, 2020

<u>अधिसूचना</u>

भारत के संविधान के अनुच्छेद-162 के अन्तर्गत कार्यपालिका शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्री राज्यपाल महोदय ''उत्तर प्रदेश स्टार्ट-अप नीति-2020'' प्राख्यापित करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

2- ''उत्तर प्रदेश स्टार्ट-अप नीति-2020'' अधिसूचना के निर्गत होने की तिथि से 05 वर्ष तक प्रभावी रहेगी।

3- ''उत्तर प्रदेश स्टार्ट-अप नीति 2020'' में समय की आवश्यकताओं के अनुरूप किसी प्रकार का परिवर्तन मा0 मुख्यमंत्री जी के अनुमोदनोपरान्त किया जा सकेगा।

आलोक कुमार
अपर मुख्य सचिव

<u>संख्या-2/2020/813(1)/78-1/2020 तद्दिनांक</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।
2- अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त, उ0प्र0।
3- प्रमुख सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उ0प्र0 शासन।
4- समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, उ0प्र0 शासन।
5- महालेखाकार, उ0प्र0, प्रयागराज।
6- निजी सचिव, मा0 विभागीय मंत्री/उप मुख्यमंत्री, उ0प्र0।
7- निजी सचिव, मा0 विभागीय राज्य मंत्री, उ0प्र0
8- प्रबन्ध निदेशक, यूपीएलसी, लखनऊ।
9- गार्ड फाइल।

<u>नीति की प्रति संलग्न।</u>

आज्ञा से,
(बराती लाल)
संयुक्त सचिव

1- यहशासनादेशइलेक्ट्रानिकलीजारीकियागयाहै, अत: इसपरहस्ताक्षरकीआवश्यकतानहीहै।
2- इसशासनादेशकीप्रमाणिकतावेबसाइट http://shasanadesh.up.nic.in सेसत्यापितकीजासकतीहै।

http://shasanadesh.up.nic.in